



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह।

(Email id-dccourt.grd@gmail.com)

Land Ceiling Appeal No. 02/2024

ममता गुप्ता-बनाम-राज्य एवं अन्य

आदेश की क्रम
सं० एवं तारीख

आदेश पर
गई कार्रवा:
बारे में रि
तिथि सहित

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

30/12/24

अपीलार्थी:-1.ममता गुप्ता, पति-बिजय कुमार गुप्ता,
सा०-बेंगाबाद, था०-बेंगाबाद, जिला-गिरिडीह।

उत्तरवादी:-1.राज्य

2.भीम राम, पिता-स्व० जोधो राम,
सा०-मोहनडीह, था०-गाण्डेय, जिला-गिरिडीह।

3.मुकेश कुमार, पिता-स्व० त्रिभुवन राम,
सा०-थाना रोड, थाना-बेंगाबाद, जिला-गिरिडीह।

—:आदेश:-

अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत भू-हदबंदी अपील वाद भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गिरिडीह द्वारा भू-हदबंदी वाद सं० 08/2015-16, मुकेश कुमार बनाम ममता गुप्ता में पारित आदेश दिनांक 08.08.2024 के विरुद्ध U/s 30 of Bihar Land Reform Act. 1961 के तहत दायर किया गया है। वाद को सुनवाई हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए विभिन्न तिथियों में सुनवाई की गई।

वादगत भूमि की विवरणी :-

अंचल	मौजा/थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	रकबा
बेंगाबाद	रातडीह/71	02	206	13.5 डी०

अपीलार्थी के विज्ञा अधिवक्ता द्वारा अपने लिखित आवेदन एवं वक्तव्यों के माध्यम से मुख्यतः यह पक्ष रखा गया की- निम्न न्यायालय द्वारा सही तथ्य को दरकिनार कर बिना वादगत भूमि का स्थल निरीक्षण के आदेश पारित किया गया जो कानून के नजर में सही नहीं है तथा Set-aside करने योग्य है। वादगत भूमि एक बाजार क्षेत्र है जहां कई दुकान, घर और ऑफिस स्थित है। वर्तमान में इसका कृषि कार्य के लिए कोई उपयोग नहीं किया जाता है।

साथ ही अपीलार्थी द्वारा यह भी बतलाया गया कि जब रजिस्टर डिड द्वारा भूमि क्रय कर वह पहले ही adjacent Raiyat बन चुके हैं ऐसे में विपक्षी द्वारा Pre-emption Rights का दावा किया जाना निराधार है, इस प्रकार निम्न न्यायालय का आदेश न्यायिक तौर पर उचित नहीं है।

अपने पक्ष के समर्थन में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा List of document के साथ 1.Registered Deed 6626 Dt. 3.7.2015 2.Photo of Boundary and scheduled land and 3. Map of Mauza Ratdih की छायाप्रति दायर किया गया जो अभिलेखबद्ध है।

विपक्षी सं० 2 के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा Rejoinder एवं वक्तव्यों के माध्यम से अपने पक्ष में यह तर्क दिया गया कि निम्न न्यायालय द्वारा बिना स्थल जाँच के गलत आदेश पारित कर दिया गया है, चुकी वादगत भूमि बजार क्षेत्र में है और अपीलार्थी का पास के भूमि पर घर भी बना हुआ है, वादगत भूमि कृषि योग्य नहीं है इसलिए विपक्षी सं० 3 का दावा गलत है एवं अपीलार्थी का आवेदन स्वीकृत करने योग्य है।

विपक्षी सं० 3 के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा Rejoinder एवं वक्तव्यों के माध्यम से अपने पक्ष में यह तर्क दिया गया कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश नियमसम्मत एवं उचित है। वादगत भूमि कृषि योग्य है और अपीलार्थी वादगत भूमि के Co-Shares/adjacent Raiyat नहीं हैं, Sale Deed से यह तथ्य स्पष्ट होता है एवं Sale Deed इस तथ्य के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इसलिए अपीलार्थी के अपील खारीज किया जाने योग्य है, परन्तु अपने पक्ष के समर्थन में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय में कोई अन्य कागजात दायर नहीं किया गया।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गिरिडीह द्वारा भू-हदबंदी वाद सं० 08/2015-16, मुकेश कुमार बनाम ममता गुप्ता में पारित आदेश दिनांक 08.08.2024 का मुख्य अंश निम्नवत् है:-

“अभिलेख में संलग्न प्रश्न का जमीन से संबंधित रजिस्टर्ड डीड संख्या 6162 दिनांक 19.6.2015 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक मुकेश कुमार प्रश्नगत जमीन की सीमावर्ती रैयत है तथा जमीन कृषि योग्य है तथा विक्रय दस्तावेज में जमीन का कृषि मूल्य दिया गया है जमीन का रकबा भी 25 डिसमिल से अधिक 32.66 डिसमिल जमीन है।”

—: विवेचना :-

1. भू-हदबंदी वाद में भूमि का प्रकार एवं भूमि का चौहद्दी जो कि पक्षकार के भूमि का सह-हिस्सेदार अथवा सीमावर्ती रैयत होने का प्रमाण के लिए मूल तथ्य होता है, ऐसे में इन तथ्यों के लिए केवल Sale Deed को एक पुष्ट दस्तावेज मानना उचित नहीं होगा।



2. निम्न न्यायालय अभिलेख एवं आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है की केवल Sale Deed में अंकित तथ्यों के आधार पर ही निर्णय किया गया है अपितु ऐसे मामलो में स्थल निरीक्षण/जाँच प्रतिवेदन का तथ्य काफी महत्वपूर्ण होता है, जिसका कोई उल्लेख नहीं पाया गया।
3. स्थल निरीक्षण/जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य संबंधित दस्तावेज के अलोक में ऐसे मामलो में निर्णय लेना श्रेयस्कर होगा, सरकारी अधिवक्ता द्वारा भी इस तर्क को स्वीकार किया गया।

उपरोक्त विवेचना, सम्पूर्ण अभिलेख, निम्न न्यायालय अभिलेख, उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क/दायर दस्तावेज/आवेदन के अवलोकन एवं परिशीलन के उपरांत यह निर्णय लिया जाता है कि भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गिरिडीह द्वारा भू-हदबंदी वाद सं० 08/2015-16, मुकेश कुमार बनाम ममता गुप्ता में पारित आदेश दिनांक 08.08.2024 को अपास्त करते हुए भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गिरिडीह को निदेश दिया जाता है कि वादगत भूमि का संबंधित अंचल अमीन, अंचल अधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी के साथ उभय पक्ष की उपस्थिती में भूमि का प्रकार, भूमि का चौहद्दी एवं भूमि का सह-हिस्सेदार /सीमावर्ती रैयत संबंधित स्थल निरीक्षण/जाँच कराते हुए पुनः सभी दस्तावेज के साथ उभय पक्ष को सुनने तथा Bihar Land Reform(Fixation of Ceiling area and acquisition of surplus Land) Act. 1961 में निहित प्रावधानों के तहत तार्किक आदेश करने हेतु इस वाद को भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गिरिडीह को **Remand** किया जाता है। इस आदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति के साथ मूल निम्न न्यायालय अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गिरिडीह को भेजे। पारित आदेश से सभी संबंधितों को अवगत करावें।

विधि-व्यवस्था एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आज आदेश पारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।